

Neutral Citation No. 2026:AHC-LKO:22111

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ खंडपीठ

रिट - ए संख्या - 7270 वर्ष 2011

जगदीश कुमार वर्मा पुत्र सी.पी. वर्मा

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, लखनऊ एवं अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : एच.जी.एस. परिहार, मीकांशी सिंह, शशांक शेखर

परिहार

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मनोज कुमार पांडे, प्रशांत

कुमार त्रिपाठी, राम लखन विश्वकर्मा

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति इरशाद अली

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह, प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राम लखन विश्वकर्मा को सुना गया।
2. इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता 19.07.2011 के उस आदेश को चुनौती दे रहा है, जो प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा पारित किया गया था, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त कर दी गई थी, और साथ ही 07.09.2011 के उस आदेश को भी चुनौती दे रहा है, जो प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पारित किया गया था और जिसमें याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति को मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त एक मैंडेमस/परमादेश रिट जारी करने की प्रार्थना की गई है, जिसमें प्रत्यर्थी गण को यह निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता को सहायक शिक्षक एल.टी. ग्रेड (विज्ञान) के पद पर कार्य करने की अनुमति दें, और उक्त पद का वेतन, वेतन के बकाए के साथ-साथ, प्रत्येक माह नियमित रूप से अदा करें।
3. प्रकरण के तथ्य यह हैं कि सरदार पटेल हायर सेकेंडरी स्कूल नामक संस्था, उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के तहत मान्यता प्राप्त है, और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 जिसमें अब तक के संशोधन शामिल हैं के प्रावधान इस संस्था पर लागू होते हैं। यह संस्था राज्य सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करती है, और उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 वर्ष 1971 के प्रावधान भी इस संस्था पर लागू होते हैं।
4. प्रारम्भ में याचिकाकर्ता को 01.08.1985 को संबंधित संस्थान में लैब असिस्टेंट/प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता की योग्यता हाई स्कूल और इंटरमीडिएट है। उन्होंने वर्ष 1987 में अपना स्नातक (बीएससी) और वर्ष 1991 में शिक्षा विशारद परीक्षा (बी.एड के समकक्ष) भी पूर्ण किया है।
5. सहायक शिक्षक (विज्ञान) के एक पद के विरुद्ध याचिकाकर्ता को 25.07.1991 के आदेश द्वारा सीधी भर्ती की उचित प्रक्रिया अर्थात् विज्ञापन और चयन आदि का पालन करने के पश्चात् तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता को 25.07.1997 को नियुक्ति पत्र जारी

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

किया गया और उसने 01.08.1991 को कार्यभार ग्रहण कर लिया तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना प्रारंभ कर दिया। याचिकाकर्ता की नियुक्ति को प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया था, और इस कारण उसने वर्ष 1997 में रिट याचिका संख्या 3236 (एस/एस) दाखिल की, तथापि इस याचिका के लंबित रहने के दौरान संस्था के प्रबंधक ने अनुमोदन के अभाव का संदर्भ प्रस्तुत करते हुए, 29.10.2004 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की नियुक्ति को रद्द कर दिया।

6. याचिकाकर्ता ने रिट याचिका संख्या 336 (एस/एस) वर्ष 2005 में दिनांक 29.10.2004 के आदेश को चुनौती दी, जिसमें इस न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पर रोक लगा दी गई थी और दिनांक 24.01.2005 के अंतरिम आदेश के माध्यम से वेतन भुगतान का निर्देश जारी किया गया था। उक्त अंतरिम आदेश के अनुपालन में प्रत्यर्थी संख्या 2 ने याचिकाकर्ता की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की और दिनांक 03.02.2007 के आदेश द्वारा दिनांक 25.07.1991 से वेतन भुगतान स्वीकृत किया, और तब से याचिकाकर्ता को उसका वेतन मिलना प्रारंभ हो गया।

7. फरवरी 2011 के महीने में याचिकाकर्ता ने बीमारी के कारण 28.02.2011 से 14.03.2011 तक छुट्टी हेतु आवेदन दिया, और इसके पश्चात भी वह बीमारी के चलते 25.04.2011 तक छुट्टी पर रहे। तत्पश्चात उन्होंने 26.04.2011 को चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ कार्यभार ग्रहण किया, जिसे प्रबंधक द्वारा स्वीकृत कर लिया गया।

8. इसी बीच 15.03.2011 को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें याचिकाकर्ता पर आरोप लगाए गए और यह निर्णय लिया गया कि तीन सदस्यों की एक समिति नियुक्त करके याचिकाकर्ता के विरुद्ध जाँच की जाएगी। इसके पश्चात दो सदस्यों ने प्रबंधन समिति के मनमाने कार्य करने के तरीके को कारण बताते हुए प्रबंधन से इस्तीफा दे दिया। प्रबंधन समिति के कोषाध्यक्ष ने भी जिला विद्यालय निरीक्षक को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि 15.03.2011 को हुई बैठक अवैध और मनगढ़ंत है। प्रबंधक ने याचिकाकर्ता को गंभीर परिणामों की धमकी भी दी, अतः याचिकाकर्ता ने 29.04.2011 को सीतापुर के पुलिस अधीक्षक के समक्ष शिकायत करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया।

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

9. समिति के अध्यक्ष ने 28.04.2011 को एक बैठक भी आयोजित की और जब उन्हें प्रबंधक की अवैध कार्रवाई के बारे में पता चला, तो उन्होंने याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रबंधक और जिला विद्यालय निरीक्षक को एक पत्र लिखा। इसके पश्चात प्रबंधक ने 30.04.2011 को याचिकाकर्ता को एक आरोप-पत्र जारी किया, जिसमें एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया था। याचिकाकर्ता ने 01.05.2011 के पत्र के माध्यम से अपना जवाब दाखिल किया।

10. इस बीच प्रबंधक ने 19.05.2011 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता को प्रबंधन समिति के निर्णय के बिना निलंबित कर दिया, जिसे बाद में 01.06.2011 को अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली प्रबंधन समिति ने रद्द कर दिया। जाँच समिति के अध्यक्ष ने कुछ आरोपों पर याचिकाकर्ता से जवाब माँगते हुए एक पत्र भी निर्गत किया। याचिकाकर्ता ने रिट याचिका संख्या 3933 (एस/एस) 2011 में निलंबन आदेश को चुनौती दी, जिसमें प्रबंधक ने 12.07.2011 को एक पूरक शपथ-पत्र दाखिल किया, जिसके साथ 09.07.2011 के एक समाचार पत्र का अंश संलग्न था, जिसमें जाँच में पेश होने की तारीख 16.07.2011 तय की गई थी।

11. याचिकाकर्ता के भाग लेने से पूर्व ही दिनांक 19.07.2011 का आक्षेपित आदेश पारित कर दिया गया, जिसमें दिनांक 16.07.2011 की जाँच रिपोर्ट भी संलग्न थी।

12. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 19.07.2011 का आक्षेपित आदेश पारित करते समय याचिकाकर्ता को जाँच आख्या उपलब्ध नहीं कराई गई थी, अतः जाँच आख्या पर विश्वास करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है, जैसा कि यूनियन ऑफ़ इंडिया बनाम मोहम्मद रमज़ान खान [(1991) 1 सर्वोच्च न्यायालय केस 588] के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया गया है।

13. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया है कि प्रबंधन समिति द्वारा अपनी बैठक में दिनांक 19.07.2011 के सेवा-समाप्ति आदेश को भी रद्द कर दिया गया था, और इसकी सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक को दे दी गई थी। उपर्युक्त के बावजूद प्रत्यर्थी संख्या 2

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

ने याचिकाकर्ता को एक नोटिस जारी किया, जिसका याचिकाकर्ता ने उत्तर दिया। तत्पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दिनांक 07.09.2011 को सेवा-समाप्ति के अनुमोदन का आदेश पारित कर दिया।

14. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि जाँच और दंड की प्रक्रिया, अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए अध्याय III के विनियम 31 से 45 में निर्धारित की गई है। विनियम 36 में आरोप-पत्र जारी करने का प्रावधान है। विनियम 37 में दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी करके, जाँच आख्या पर प्रबंधन समिति द्वारा निर्णय लिए जाने का प्रावधान है। विनियम 40 में समय-सीमा और प्रक्रिया का प्रावधान है, तथा विनियम 45 में जिला विद्यालय निरीक्षक के निर्णय के कार्यान्वयन का प्रावधान है।

15. अगला तर्क यह है कि जाँच समिति का गठन विनियम 35 का उल्लंघन करते हुए किया गया है, क्योंकि सहायक अध्यापक के प्रकरण में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता या प्रबन्धक ही जाँच अधिकारी हो सकते हैं। यह भी कथन किया गया है कि आरोप-पत्र में न तो कोई स्पष्ट आरोप बताए गए हैं और न ही इसे जाँच अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि स्वयं प्रबन्धक द्वारा ही 16.07.2011 की जाँच आख्या पर विश्वास करते हुए 19.07.2011 का आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जबकि इस आख्या को न तो निर्णय के लिए प्रबंध समिति के समक्ष रखा गया था और न ही याचिकाकर्ता को उसकी प्रतिक्रिया जानने हेतु उपलब्ध कराया गया था।

16. आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता को अधिनियम और विनियम के अंतर्गत आवश्यक दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया है। अधिनियम के अध्याय III के तहत बनाए गए विनियम 37 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि सेवा समाप्त करने से पूर्व अपचारी कर्मचारी को दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए, जो इस प्रकरण में नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता को कभी भी दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया, और संस्था के प्रबंधक ने प्रत्यक्ष रूप से एक आदेश पारित कर दिया, जिसमें जांच आख्या पर प्रबंधन समिति के निर्णय को लागू किया गया, जबकि दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना आवश्यक था।

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

17. उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अंतर्गत बनाए गए अध्याय II के नियम 13 के अंतर्गत सहायक अध्यापक को दंडित करने का अधिकार प्रबंधन समिति को दिया गया है, इसलिए प्रबंधक द्वारा प्रबंधन समिति के किसी भी निर्णय के बिना पारित किया गया आक्षेपित दंड आदेश पूर्ण रूप से अधिकार-क्षेत्र से बाहर है। सेवा समाप्ति का आदेश पारित करने से पूर्व उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करना और अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है, जैसा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की धारा 21 के अंतर्गत अपेक्षित है। प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से कोई पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था, इसलिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना पारित किया गया यह आदेश अवैध है और विधि की दृष्टि में मान्य नहीं है।

18. अधिनियम संख्या 5 1982 के लागू होने के पश्चात अनुमोदन की शक्ति जिला विद्यालय निरीक्षक से हटकर बोर्ड में निहित हो गई है, अतः जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा पारित अनुमोदन का आदेश क्षेत्राधिकार-रहित है।

19. उन्होंने कमेटी ऑफ़ मैनेजमेंट एस.बी. इंटर कॉलेज बनाम यूपीएसईएसएसबी [2008 (2) एडीजे 318] के प्रकरण में दिए गए निर्णय पर विश्वास व्यक्त किया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रबंधन बिना पूर्व अनुमति और बिना दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किए, किसी कर्मचारी को सेवामुक्त करने हेतु सक्षम नहीं है और प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया है।

20. धनंजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (रिट-ए संख्या 5351 वर्ष 2021) के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि शिक्षा विशारद परीक्षा बी.एड के समकक्ष है।

21. योगिनाथ डी. बागडे बनाम महाराष्ट्र राज्य [1999 (7) एससीसी 739] के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सेवा समाप्त करने से पूर्व दोषी कर्मचारी को दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए, जो कि इस प्रकरण में नहीं किया गया है।

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

22. **धर्मेन्द्र कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [2021 (7) एडीजे 241 (एल बी)]**

के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि चूंकि दंड आदेश को विधि की दृष्टि में अमान्य घोषित कर दिया गया था, इसलिए बर्खास्तगी की तारीख से लेकर बहाली की तारीख तक के वेतन का लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता।

23. इस संबंध में कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पश्चात अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी नहीं रह सकती, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **रवीन्द्र सिंह राठौड़ बनाम जिला विद्यालय निरीक्षक (सीएमडब्ल्यूपी संख्या 16905 वर्ष 2000)** के प्रकरण पर विश्वास व्यक्त किया गया है।

24. मैंने प्रस्तुत किये गए तर्कों को सुना है और याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई विधि रिपोर्ट का अवलोकन किया है।

25. जिन निर्णयों पर विश्वास व्यक्त किया गया है, उनकी जांच करने पर यह अवधारित किया गया है कि दूसरा कारण बताओ नोटिस निर्गत किए बिना जारी किया गया सेवा समाप्ति का आदेश पूर्ण रूप से अवैध और मनमाना है। यह भी अवधारित किया गया है कि सेवा समाप्ति का आदेश उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त किए बिना पारित किया गया है, इसलिए बिना पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए जारी किया गया यह आदेश अवैध है और विधि की दृष्टि में मान्य नहीं है।

26. यह भी देखा गया है कि सेवा समाप्ति का आदेश प्रबंधन समिति के प्रबंधक द्वारा पारित किया गया है। विनियम 37 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी करने और संबंधित कर्मचारी से उसका जवाब प्राप्त करने का दायित्व प्रबंधन समिति को सौंपा गया है, चूंकि याचिकाकर्ता के प्रकरण में ऐसी कोई नोटिस जारी नहीं की गई है, इसलिए सेवा समाप्ति का यह आक्षेपित आदेश पूर्णतः क्षेत्राधिकार रहित है और इस कारण से यह इस न्यायालय द्वारा अपास्त किए जाने योग्य है।

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

27. उपरोक्त कारणों के आधार पर आक्षेपित आदेशों में स्पष्ट अवैधता है और वे अपास्त किए जाने योग्य हैं, इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा पारित दिनांक 19.07.2011 का वह आक्षेपित आदेश जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त कर दी गई थी, और प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 07.09.2011 का वह आदेश, जिसमें याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति को अनुमोदन प्रदान किया गया था, एतद्वारा रद्द किए जाते हैं। रिट याचिका सफल होती है और स्वीकार की जाती है।

28. प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को सेवा समाप्ति की तारीख अर्थात् 19.07.2011 से लेकर सेवानिवृत्ति की तारीख तक का वेतन इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर भुगतान करें।

(न्यायमूर्ति इरशाद अली)

30 मार्च 2026

गौतम

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”